न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/38

चुन्नी लाल आत्मज स्व0 हीरालाल जाति धाकड निवासी ग्रमा उदयपुरिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. रामनारायण आत्मज भवानी उर्फ भवानी लाल जाति धाकड ।
2. कमल कुमार आत्मज देवीलाल जाति धाकड ।
3. फूलचन्द आत्मज देवीलाल जाति धाकड ।
4. कैलाश आत्मज देवीलाल जाति धाकड ।
5. झमकू बाई पुत्री देवीलाल जाति धाकड ।
6. श्रीमती प्रयाग बाई पत्नी देवीलाल जाति धाकड ।
7. भैरूसिंह आत्मज प्रहलाद सिंह जाति धाकड ।
8. इन्द्रा बाई पत्नी प्रहलाद सिंह जाति धाकड ।
9. प्रेम बाई पुत्री भवाना जाति धाकड निवासीगण उदपुरिया हाल निवासी तीतरवासा तहसील झालरापाटन जिला झालावाड ।
10. पाना बाई पुत्री भवाना जाति धाकड ।
11. हेमराज आत्मज बालाराम जाति धाकड ।
12. ओम प्रकाश आत्मज बालाराम जाति धाकड ।
13. दयाराम आत्मज बालाराम जाति धाकड ।
14. रूपलाल आत्मज बालाराम जाति धाकड ।
15. जानकी बाई पुत्री बालाराम जाति धाकड ।
16. निर्मला बाई पुत्री बालाराम जाति धाकड ।
17. भगवती बाई पुत्री बालाराम जाति धाकड निवासीगण हनोतिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
18. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रूपेश कुमार श्रृंगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री मनोज मंत्री, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 17 की ओर से ।

निर्णय — दिनांकः 22.10.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 28.01.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में वादीगण के पूर्वज भुवाना आत्मज नाथू जी तथा प्रतिवादी कम 01 के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 3213 रकबा 0.01 हैक्टर चाह एवं खसरा नम्बर 3214 रकबा 4.55 हैक्टर भूमि स्थित है । भुवाना जी मृत्यु के बाद वादीगण वैध उत्तराधिकारी रहे हैं । आराजी प्रतिवादी कम 01 के साथ संयुक्त खाते में दर्ज रिकॉर्ड है । उक्त भूमि में प्रतिवादी कम 01 का हिस्सा 1/2 तथा वादीगण का संयुक्त रूप से हिस्सा 1/2 में से प्रत्येक वादी के हिस्से अनुसार उनका हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है । भुवाना जी के पुत्र देवी लाल की मृत्यु वर्ष 1987 में हो चुकी है । मृतक देवीलाल के वारिसान वादीगण कम 02 से 6 पुत्र एवं पुत्रियॉ तथा देवीलाल के पुत्र प्रहलाद सिंह की मृत्यु वर्ष 2017 में हो जाने से उनके वैधानिक उत्तराधिकारी वादी कम 07 पुत्र एवं वादी कम 08 पत्नी हैं । भुवाना जी जब तक जीवित रहे उक्त आराजी के कृषि की व्यवस्था वे स्वयं वादी कम 01 के साथ मिलकर करते रहे हैं उनकी मृत्यु के बाद वादी कम 1 एवं 4 दोनों संयुक्त रूप से करते रहे हैं । वादग्रस्त आराजी का भुवाना जी एवं प्रतिवादी कम 01 के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ । वर्तमान में भी उक्त भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । भुवाना जी अपने जीवनकाल में झालावाड में जाकर निवास करने लगे और वही से उक्त भूमि की देखभाल करने आते थे । प्रतिवादी कम 01 वादग्रस्त आराजी का विभाजन नहीं करवाना चाहते और उक्त सम्पूर्ण भूमि को ताकत के बल पर खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । वादीगण को आवश्यक हो गया है कि वे वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाएं और प्रतिवादी कम 01 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिकी पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन किया जाकर विभाजन में प्राप्त आराजी का राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जाकर पृथक –पृथक लगान कायम किया जावे । प्रतिवादी कम 01 जो जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण की 1/2 हिस्से की भूमि को संयुक्त रूप से काश्त करने में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादी कम 1 करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19.03.2019 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के मध्य विभाजन किया जाकर प्राथमिक डिकी जारी की ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 19.03.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी कम 01 ने न्यायालय हाजा में अपील पेश की जिसे न्यायालय हाजा ने निर्णय दिनांक 25.08.2020 के द्वारा खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.01.2021 के द्वारा विभाजन की अंतिम डिकी जारी कर दी ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28.01.2021 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 01 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने एकपक्षीय रूप से अंतिम डिक्री पारित करने में त्रुटि की है । परीक्षण न्यायालय ने अंतिम डिक्री राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में नहीं बनायी है । विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्ट को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना अंतिम डिक्री जारी की गई है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28.01.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि परीक्षण न्यायालय के द्वारा अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व 18 से 21 राजस्व मण्डल नियमों की पालना नहीं की गई है । बंटवारा प्रस्ताव अपीलान्ट की अनुपस्थिति में तैयार किये गये हैं । कब्जे का ध्यान नहीं रखा गया है । रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है । तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गये हैं । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28.01.2021 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2021 पेज 469 उद्वरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्व मण्डल नियमों की पालना में बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर अंतिम डिक्री पारित की गई है । अपीलान्ट की प्रारम्भिक डिक्री के खिलाफ अपील खारिज हो चुकी है । बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय वो स्वयं मौके पर उपस्थित नहीं हुए उनकी जिम्मेदारी थी कि वो स्वयं मौके पर आते । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से अंतिम डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28.01.2021 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय में जो बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं वो तहसीलदार के द्वारा हस्ताक्षरित हैं । बंटवारा प्रस्ताव के साथ नक्शा ट्रेस की प्रति भी पेश की गई है । बंटवारा प्रस्ताव में यह अंकित किया गया है कि प्रतिवादी चुन्नी लाल ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति एवं हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है । बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार वादी को खसरा नम्बर 3214/2 की रकबा 2.275 हैक्टर और चुन्नी लाल प्रतिवादी को खसरा नम्बर 3214/1 की 2.275 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 3213 रकबा 0.02 हैक्टर गैर मु0 चाह को संयुक्त खाते में रखा गया है । बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद परीक्षण न्यायालय ने इस पर उभयपक्षीय बहस सुनी है और उसके उपरान्त अंतिम डिक्री पारित की है । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय के द्वारा राजस्व मण्डल नियमों की पालना करते हुए अंतिम डिक्री जारी की है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के द्वारा उद्वरत नजीर यहॉ चस्पा नहीं होती है क्योंकि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षरित हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28.01.2021 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 22.10.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/10/21

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2021 / 38

चुन्नी लाल आत्मज स्व0 हीरालाल जाति धाकड निवासी ग्रमा उदयपुरिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

---अपीलार्थी

बनाम

1. रामनारायण आत्मज भवानी उर्फ भवानी लाल जाति धाकड ।
2. कमल कुमार आत्मज देवीलाल जाति धाकड ।
3. फूलचन्द आत्मज देवीलाल जाति धाकड ।
4. कैलाश आत्मज देवीलाल जाति धाकड ।
5. झमकू बाई पुत्री देवीलाल जाति धाकड ।
6. श्रीमती प्रयाग बाई पत्नी देवीलाल जाति धाकड ।
7. भैरूसिंह आत्मज प्रहलाद सिंह जाति धाकड ।
8. इन्द्रा बाई पत्नी प्रहलाद सिंह जाति धाकड ।
9. प्रेम बाई पुत्री भवाना जाति धाकड निवासीगण उदपुरिया हाल निवासी तीतरवासा तहसील झालरापाटन जिला झालावाड ।
10. पाना बाई पुत्री भवाना जाति धाकड ।
11. हेमराज आत्मज बालाराम जाति धाकड ।
12. ओम प्रकाश आत्मज बालाराम जाति धाकड ।
13. दयाराम आत्मज बालाराम जाति धाकड ।
14. रूपलाल आत्मज बालाराम जाति धाकड ।
15. जानकी बाई पुत्री बालाराम जाति धाकड ।
16. निर्मला बाई पुत्री बालाराम जाति धाकड ।
17. भगवती बाई पुत्री बालाराम जाति धाकड निवासीगण हनोतिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
18. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक कोटा ।

---प्रत्यर्थी

नाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.01.2021 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

वाद संख्याः 97/दावा/2018

1. रामनारायण आत्मज भवानी उर्फ भवानी लाल जाति धाकड ।
2. कमल कुमार आत्मज देवीलाल जाति धाकड ।
3. फूलचन्द आत्मज देवीलाल जाति धाकड ।
4. कैलाश आत्मज देवीलाल जाति धाकड ।
5. झमकू बाई पुत्री देवीलाल जाति धाकड ।
6. श्रीमती प्रयाग बाई पत्नी देवीलाल जाति धाकड ।
7. भैरूसिंह आत्मज प्रहलाद सिंह जाति धाकड ।
8. इन्द्रा बाई पत्नी प्रहलाद सिंह जाति धाकड ।
9. प्रेम बाई पुत्री भवाना जाति धाकड निवासीगण उदपुरिया हाल निवासी तीतरवासा तहसील झालरापाटन जिला झालावाड ।
10. पाना बाई पुत्री भवाना जाति धाकड ।
11. हेमराज आत्मज बालाराम जाति धाकड ।
12. ओम प्रकाश आत्मज बालाराम जाति धाकड ।
13. दयाराम आत्मज बालाराम जाति धाकड ।
14. रूपलाल आत्मज बालाराम जाति धाकड ।
15. जानकी बाई पुत्री बालाराम जाति धाकड ।
16. निर्मला बाई पुत्री बालाराम जाति धाकड ।
17. भगवती बाई पुत्री बालाराम जाति धाकड निवासीगण हनोतिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

--वादी

बनाम

1. चुन्नी लाल आत्मज स्व0 हीरालाल जाति धाकड निवासी ग्रमा उदयपुरिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

--प्रतिवादी